प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 02.03.2025

थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा हत्या का प्रयास करने वाले 03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार व 02 बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया गया।

दिनांक 01.03.2025 को थाना क्षेत्र मसूरी के ग्राम कुशलिया में दो पक्षो में आपस में झगडे की सूचना प्राप्त हुई थी, इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची एवं वादी श्री घनश्याम पुत्र रामफल सैनी निवासी ग्राम कुशलिया थाना मसूरी गाजियाबाद की तहरीर के आधार पर थाना मसूरी पर सुसंगत धाराओं में मु0अ0स0-55/2025 धारा 191(2)/115(2)/131/बीएनएस बनाम 1-रिहान पुत्र जहागीर निवासी ग्राम कुशलिया थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष 2-शाकिब पुत्र जमील निवासी ग्राम कुशलिया थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष 3- बाल अपचारी निवासी ग्राम कुशलिया थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र करीब 16 वर्ष 4- बाल अपचारी निवासी ग्राम कुशलिया थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र करीब 15 वर्ष 5. अनस पुत्र फजरू निवासी ग्राम कुशलिया थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष आदि के विरूद्ध पजीकृत किया गया था एवं उक्त प्रकरण में त्वरित कार्यवाही करते हुए घटना से सम्बधित नामजद 02 बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया गया तथा 03 अभियुक्तगणों को गिरफ्तार किया गया। दौराने विवेचना मुकदमा उपरोक्त में धारा-109(1)/3(5) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1-रिहान पुत्र जहागीर निवासी ग्राम कुशलिया थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष

2-शाकिब पुत्र जमील निवासी ग्राम कुशलिया थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष

3- अनस पुत्र फजरू निवासी ग्राम कुशलिया थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष

02 बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया गया।

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास

उपरोक्त घटना के सम्बध में थाना मसूरी पर धारा-191(2)/115(2)/131/109(1)/3(5) बीएनएस व 4/25 ए एक्ट में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

थाना मसूरी पुलिस टीम।

थाना निवाडी पुलिस द्वारा गौकशी के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार।

दिनांक 26.11.2024 को थाना निवाडी पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि कान्हा एन्क्लेव हीरो शोरूम के पास गौवंश के अवशेष प्राप्त हुए है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना निवाडी पर धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के सफल अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात दिनांक 01.01.2025 को थाना निवाडी पुलिस द्वारा उपरोक्त घटना का सफल अनावरण करते हुए चेकिंग के दौरान पुलिस मुठभेड में 02 अभियुक्त 1.बिलाल पुत्र बरीश निवासी डासना थाना वेवसिटी गाजियाबाद 2.मोनिस पुत्र कलवा निवासी डासना थाना वेवसिटी गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया तथा इनके कब्जे से एक अवैध तमंचा व एक जिन्दा कारतूस व गौकशी करने के अन्य उपकरण बरामद हुये थे, रात्रि का फायदा उठाकर इनका एक साथी शानू उर्फ शहनवाज पुत्र साबू उर्फ साबूद्दीन मौके से फरार हो गया था एवं दिनांक

01.02.2025 को गौकशी के अभियोग में वांछित अभियुक्त 1.कलवा पुत्र इस्माइल निवासी डासना थाना वेवसिटी गा0बाद को निवाडी से शेरपुर वाले मार्ग से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त बोलेरो पिकअप गाडी बरामद हुई थी।

दिनांक 01/02.03.2025 की रात्रि में थाना निवाडी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर गौकशी व पुलिस मुठभेड के अभियोग में वांछित अभियुक्त शानू उर्फ शहनवाज पुत्र साबू उर्फ साबूद्दीन नि0 पुरानी पैंठ डासना थाना वेवसिटी गाजियाबाद हाल निवासी पीर मोहल्ला एक मीनार मस्जिद गुलावटी थाना गुलावटी जिला बुलन्दशहर को गिरफ्तार किया गया तथा दिनांक 02.03.2025 गौकशी के अभियोग में वांछित अभियुक्त अनस उर्फ पोपा पुत्र साबू उर्फ साबूद्दीन निवासी पुरानी पैंठ डासना थाना वेवसिटी गाजियाबाद हाल निवासी चौधरी किराये का मकान नाजिम हास्पीटल के पास थाना मसूरी गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया । आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने बताया कि हम लोगों ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर दिनांक 26.11.2024 को ग्राम याकूतपुर मवी कान्हा एन्कलेव हीरो शोरूम के पास जंगल में 01 गौवंश की हत्या करके उसके मांस को कलवा पुत्र इस्माइल की बोलेरो पिकअप गाडी में भरकर ले गये थे। हमारे साथी बिलाल, मोनिस व कलवा को पुलिस ने गिरफ्तार करके पहले ही जेल भेजा दिया था। अभियुक्त शानू उर्फ शहनवाज ने बताया कि जिस दिन पुलिस की बिलाल व मोनिस से मुठभेड हुई थी मैं भी उनके साथ ही था उन दोनो को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया लेकिन मैं अंधेरे का फायदा उठाकर मैं मौके से भाग गया था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. शानू उर्फ शहनवाज पुत्र साबू उर्फ साबूद्दीन नि0 पुरानी पैंठ डासना थाना वेवसिटी गाजियाबाद, उम्र –करीब 27 वर्ष,
2. अनस उर्फ पोपा पुत्र साबू उर्फ साबूद्दीन निवासी पुरानी पैंठ डासना थाना वेवसिटी गाजियाबाद हाल निवासी चौधरी किराये का मकान नाजिम हास्पीटल के पास थाना मसूरी गाजियाबाद, उम्र –करीब 22 वर्ष,

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त शानू उर्फ शहनवाज उपरोक्त के विरुद्ध कमिश्नरेट गाजियाबाद में गौवध अधि0, पशु क्रूरता, गैंगस्टर अधि0 व पुलिस मुठभेड के लगभग 05 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।
अभियुक्त अनस उर्फ पोपा उपरोक्त के विरूद्ध कमिश्नरेट गाजियाबाद में गौवध के 05 अभियोग, चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना निवाडी पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 01.03.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादिया द्वारा एक तहरीर, अभि0 द्वारा वादिया को दिनांक 27.02.2025 को एक रेस्टोरेंट में ले जाकर कोल्ड-ड्रिंक में कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर पिला देना एवं उसी रेस्टोरेंट में एक कमरे में ले जाकर अभि0 द्वारा वादिया के साथ गलत काम करना तथा वादिया की वीडियो बना लेना व उस वीडियो को वायरल कर देने की धमकी देने के सम्बन्ध में दाखिल की । जिसके सम्बन्ध में थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल धारा- 123/64/351(2) बीएनएस अभियोग पंजीकृत किया गया एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभि0 दानिश चौधरी पुत्र शौकीन चौधरी नि0 ग्राम चिरोड़ी थाना लोनी को चौकी क्षेत्र इन्द्रापुरी से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि मेरी कुछ महीनों पहले वाट्सएप के माध्यम से वादिया से मुलाकात हुई थी, धीरे-धीरे बात करने के दौरान हमारी दोस्ती हो गयी एवं दिनांक 27.02.25 को मैं उसे फोन पर बात कर घुमाने के बहाने रेस्टोरेंट ले गया था और कोल्डड्रिंक में नशीला

पदार्थ मिलाकर मैंने उसके साथ गलत काम किया था और वीडियो भी बना ली थी, वह मुझसे दोबारा सम्बन्ध बनाने के लिए मना कर रही थी इसलिए मैने उसे पहली वीडियो वायरल करने की धमकी दी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता:-

दानिश चौधरी पुत्र शौकीन चौधरी नि0 ग्राम चिरोड़ी थाना लोनी गा0बाद उम्र 20 वर्ष।

आपराधिक इतिहास / पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा गौकशी के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

थाना ट्रोनिका सिटी पर दिनांक 14-1-2025 को सूचना मिली कि चौकी क्षेत्र मण्डोला के आवास विकास के क्षेत्र जंगल में बने सीवर के गहरे गडडे में गो-वंश के अवशेष मिले थे, उपरोक्त सूचना पर थाना ट्रोनिका सिटी पर धारा- 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम बनाम अज्ञात में अभियोग पंजीकृत किया गया। गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात घटना का अनावरण करते प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1. आहद 2.चांद कुरैशी उर्फ 3. साजिद उर्फ सदुआ 4.अज्जू उर्फ बज्जू उर्फ बजाहत 5. हसनैन को जेल भेजा जा चुका है तथा मुकदमा उपरोक्त में वांछित चल रहे अभियुक्त नसीम पुत्र रहीसुद्दीन नि0 मौहल्ला नाला थाना कोतवाली जिला सम्भल उम्र 23 वर्ष को दिनांक 01.03.2025 को गिरफ्तार किया गया, अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण-

अभियुक्त नसीम पुत्र रहीसुद्दीन नि0 मौहल्ला नाला थाना कोतवाली जिला सम्भल ने पूछताछ पर उपरोक्त का समर्थन करते हुए बताया कि दिनांक 12.01.2025 को उसने अपने साथियों के साथ मिलकर गौकशी की घटना कारित की थी। पुलिस की डर की वजह से फरार हो गया था।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त -

अभियुक्त नसीम पुत्र रहीसुद्दीन नि0 मौहल्ला नाला थाना कोतवाली जिला सम्भल, उम्र 23 वर्ष

आपराधिक इतिहास

अभियुक्त के विरूद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा पानी की मोटर चोरी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 03 पानी की छोटी मोटर बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 01.03.2025 को थाना कौशाम्बी पर वादी श्री धीरेन्द्र पुत्र तेज बहादुर सिंह की तहरीर के आधार पर अज्ञात चोर द्वारा वादी व वादी की पड़ोसी की पानी की 03 मोटर चोरी कर ले जाने के संबंध में धारा- 303(2)

बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसके क्रम में दिनांक 01.03.2025 की रात्रि में थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान पानी की मोटर चोरी करने वाला 01 अभियुक्त अनवर उर्फ नटवर पुत्र साबिर निवासी झुग्गी झोपड़ी शुक्र बाजार भोवापुर थाना कौशाम्बी गाजियाबाद मूलपता ग्राम काकन थाना जोकिहाट जिला अररिया बिहार उम्र करीब 22 वर्ष को एलीवेटेड रोड़ के नीचे कच्चे रास्ते पर यूपी गेट के पास से चोरी की 03 पानी की छोटी मोटर सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त अनवर उर्फ नटवर पुत्र साबिर उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग की धारा 303(2) बीएनएस में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पुछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त अनवर उर्फ नटवर पुत्र साबिर उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि यह पानी की मोटर अभियुक्त उपरोक्त ने सुबह/रात के समय में वैशाली सेक्टर 03 से चुरायी थी। चोरी की हुई पानी की मोटर को अभियुक्त उपरोक्त ने एलीवेटेड के नीचे झाडियों में छुपा दिया था। जिन्हें आज चलते फिरते लोगो को बेचने के लिए ले जा रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अनवर उर्फ नटवर पुत्र साबिर निवासी झुग्गी झोपड़ी शुक्र बाजार भोवापुर थाना कौशाम्बी गाजियाबाद मूलपता ग्राम काकन थाना जोकिहाट जिला अररिया बिहार उम्र करीब 22 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

- चोरी की 03 पानी की छोटी मोटर बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त अनवर उर्फ नटवर पुत्र साबिर उपरोक्त के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।